राजस्थान--सरकार

निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान–जयपुर।

क्रमांकः नर्सिंग / पदौ0 / नर्स–2 / (एफ–16) / 15 / दिनांकः

:: आदेश ::

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 एवं संशोधित नियम 03.06.82 के नियम 23 व 24 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदौन्नति समिति की दिनांक 04.12.14 को आयोजित पुनरावलोकन बैठक के आधार पर वर्ष 2007–08 से 2011–12 तक की विभागीय पदौन्नति समिति की अभिशंषा के फलस्वरूप चयनित निम्नलिखित नर्स–प्रथम (पुरूष / महिला) को उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थान पर पदस्थापित किया जाता है :–

कसं	नाम	वर्तमान पदस्थापन स्थान	नवीन पदस्थापन स्थान
1	बद्री लाल	सीएचसी, रामगंजमण्डी, कोटा	सीएचसी, रामगंजमण्डी, कोटा
2	श्याम बिहारी	महाराव भीमराव चिकित्सालय, कोटा	महाराव भीमराव चिकित्सालय, कोटा
3	गोविन्द सिंह	पीएचसी, नासिरदा, टोंक	सीएमएचओ, टोंक के अधीन
4	शीला कुमारी	ज0ला0ने0, चिकित्सालय, अजमेर	ज0ला0ने0, चिकित्सालय, अजमेर
5	रोसम्मा चाको	एम0जी0 चिकित्सालय, बांसवाडा	एम0जी0 चिकित्सालय, बांसवाडा
6	जगत प्रकाश यादव	पीएचसी, भीटेडा, बहरोड, अलवर	सीएमएचओ, अलवर के अधीन
7	हेमन्त कुमार सैनी	सीएमएचओ, जोधपुर	सीएमएचओ, जोधपुर के अधीन
8	जगदीश सोलंकी	पीएचसी, शेरपुर, करौली	पीएचसी, शेरपुर, करौली
9	शीशराम यादव	सीएचसी, किशनगढ बॅास, अलवर	सीएमएचओ, अलवर के अधीन
10	राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	सीएमएचओ, जयपुर प्रथम (प0क)	सीएमएचओ, जयपुर–प्रथम (प0क) के अधीन
11	कैलाश चन्द शर्मा	एम0जी0 चिकि0, भीलवाडा	एम0जी0 चिकि0, भीलवाडा
12	शिव सिंह राजपुत	पीएचसी, निम्बाहेडा, भीलवाडा	सीएमएचओ, भीलवाडा के अधीन
13	एलवीना अमरलाल	जे0के0लोन मात् एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा	जे0के0लोन मात् एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा
14	रामावतार शर्मा	सीएमएचओ, जयपुर प्रथम	सीएमएचओ, जयपुर–प्रथम के अधीन
15	मूलाराम पंवार	सीएचसी, समदडी, बाडमेर	सीएचसी, समदडी, बाडमेर
16	राजकुमार	नेत्र चिकित्सालय श्रीडूगरगढ, बीकानेर	सीएमएचओ, बीकानेर के अधीन
17	थ्रेसी अम्मा के.वी.	पी0बी0एम, चिकित्सालय, बीकानेर	पी0बी0एम, चिकित्सालय, बीकानेर
18	फ्रूडेन्स ईना रोज	ज0ला0ने0, चिकित्सालय, अजमेर	ज0ला0ने0, चिकित्सालय, अजमेर
19	अनम्मा मैथ्यु	महात्मा गॉधी चिकित्सालय, बॉसवाडा	सीएमएचओ, बांसवाडा के अधीन
20	एगनस जोनसन	क0रा0बी, चिकित्सालय, बापूनगर, भीलवाडा	क0रा0बी, चिकित्सालय, बापूनगर, भीलवाडा
21	सियाराम सुनार	कावटिया राज0 जिला चिकि0, शास्त्री नगर सर्किल, जयपुर	कावटिया राज0 जिला चिकि0, शास्त्री नगर सर्किल, जयपुर
22	महावीर प्रसाद शर्मा	सीएमएचओ, दौसा	सीएमएचओ, दौसा के अधीन
23	राजम्मा एम.जी.	एसएमएस चिकि0, जयपुर	एसएमएस चिकि0, जयपुर
24	पपीन्द्र कौर	क0रा0बी0 औ0न01, बीकानेर	क0रा0बी0 औष0, न01, बीकानेर
25	तनवीर बेगम खिलजी	जे0के0लोन मात् एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा	जे0के0लोन मात् एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा
26	दिनेश चन्द्र शर्मा	सीएचसी, सपोटरा, करौली	सीएमएचओ, करौली के अधीन
27	पुष्पा चन्दरा	सीएचसी, सरेडी बडी, बांसवाडा	सीएमएचओ, बांसवाडा के अधीन
28	लीला मणी वी.सी.	ईएसआई डीस्पें,0न04, जयपुर	ईएसआई डीस्पें,0न04, जयपुर

29	लीला गुप्ता	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर	उम्मेद अस्पताल, जोधपुर
30	गोपी कृष्ण शर्मा	बीसीएमओ, माण्डल जिला भीलवाडा	सीएमएचओ, भीलवाडा के अधीन
31	रमेश चन्द सैनी	एसएमएस चिकि0, जयपुर	एसएमएस चिकि0, जयपुर
32	नेकी राम	सीएमएचओ, सीकर	सीएमएचओ, सीकर के अधीन
33	किशन चन्द जौशी	जेल डिस्पे0 केन्द्रीय कारागार, जोधपुर	जेल डिस्पे0 केन्द्रीय कारागार, जोधपुर
34	देवी लाल गौड	मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर	सीएमएचओ, जोधपुर के अधीन
35	राजेन्द्र कुमार औदिच्य	सीएमएचओ, जोधपुर	एम0डी0एम0 चिकि0, जौधपुर
36	राजेन्द्र कुमार पाण्डे	सीएमएचओ, डूंगरपुर	सीएमएचओ, डूंगरपुर
37	सुभाष चन्द यादव	एसएमएस चिकि0, जयपुर	एसएमएस चिकि0, जयपुर

समस्त संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अग्रिम आदेशों तक उक्त आदेश द्वारा पदौन्नत सभी कर्मचारियों को इनके वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही नर्स श्रेणी–प्रथम के रूप में कार्यग्रहण करावें तथा ये समस्त कर्मचारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही पूर्व की भांति नर्स श्रेणी–द्वितीय के पद पर कार्य करते रहेगें।

राज्य सरकार के नोटिफिकेशन क्रमांकः एफ.7(1) डीओपी/ए–II/95 दिनांकः 20.6.2001 के परिपेक्ष में यदि उपरोक्त कर्मचारियों में से किसी के दिनांकः 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान उत्पन्न हुई हों तो पदौन्नति अगले 5 वर्ष तक रूक जावेगी, इसकी सूचना निदेशालय को भिजवावें।

उक्त पदौन्नत कर्मचारियों को वेतन निर्धारण उक्त नियमों के नियम 24 ए उप नियम (II ए) के अनुसार चयनित वर्ष की अंतिम तिथि से नोशनल आधार पर किया जावेगा तथा कोई एरियर देय नहीं होगा।

उक्त कर्मचारियों को नवीन पदस्थापन स्थान पर दिनांकः 25.05.15 तक आवश्यक रूप से कार्य ग्रहण करना होगा। इसके पश्चात ये आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेगें।

नोटः–यदि सूचना के अभाव में कोई कर्मचारी सेवा में नहीं हो, लम्बे समय से अवकाश पर हो या मृत्यु हो गई हो तो उसका नाम विलोपित समझा जावे एवं इस सम्बन्ध में सूचना निदेशालय को भिजवायें।

(दिनेश कुमार जांगिड)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर

क्रमांकः नर्सिंग/पदौ0/नर्स–2/एफ–16/15/589 दिनांकः 12/05/15

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
3. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर।
4. समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी।
5. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी, सर्वररूम, निदेशालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वैबसाईट पर इम्पोर्टेन्ट लेटर में प्रकाशित करें।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।

(दिनेश कुमार जांगिड)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन),
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं,
राज0 जयपुर